राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

प्रहलाद बनाम बंशीराम

तारीख हुक्म	338/2022 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 23/12/2025 को पेश हो।	
23/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 26/12/2025 को पेश हो।	
26/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद इश्तकरारहक़ दुरुस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 112 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 113 रकबा 8 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम मौजा पाछुडाला के पूर्व में खातेदार काश्तकार वादीगण के पिता मूला पुत्र कालू थे एवं उनके मरने के उपरान्त उक्त आराजी पर वादीगण बतौर खातेदार काश्तकार काबिज हुये एवं आज भी मौके पर काबिज है एवं लाट-बाट करते है। आराजी हाल खसरा नम्बर 154/2.71 जिसके साबिक खसरा नम्बर 112, 113 वाके मौजा पाछुडाला के हाल रेवेन्यु रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व अथवा सैटलमेंट कर्मचारीयो से सांठ-गाँठ करके वादीगण की जगह प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज करवा लिया। जिसका ज्ञान वादीगण को गत सप्ताह तहसील से जमाबन्दी की नकल लेने से हुआ। वादीगण ने प्रतिवादीगण को अनेको बार आराजी हाल खसरा नम्बर 154 वाके मौजा पाछुडाला के हाल रेवेन्यु रिकार्ड में दुरुस्ती कर प्रतिवादी संख्या 1 की जगह वादीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने हेतु कहा परन्तु पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टालमटोल करते रहे एवं अब साफ़ इनकार हो गये। इसलिये वादीगण को हक़ हो गया है कि उपरोक्त खसरा नम्बर 154 के हाल रेवेन्यु रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाकर वा दीगण को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी कायम कर निर्णय व डिक्री दिनांक 19/04/2022 पारित करते हुए वादीगण का वाद पक्षसिद्धी का अभाव होना धारित करते हुए वादीगण का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

प्रहलाद बनाम बंशीराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख आदेश जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

~~व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की~~ गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य-सबूत का विस्तृत परिक्षण/विवेचन कर तनकीवार निर्णय पारित किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19/04/2022 विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 26/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |